कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1561 /बदायूँ/23705/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 11 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) किमी0 163.000 से 208.400 तक (किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक) 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/53/2017/एफसी/78, दि0 16.08.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0 155/14–2–2017–800(59)/2017, दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 16.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु–2, 9, 10 व 12 के अतिरिक्त अन्य समस्त बिन्दुओं का निराकरण वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक–1870/14–1, दिनांक 14.11.2017 द्वारा तथा बिन्दु–2, 9, 10 व 12 से सम्बन्धित बिन्दुओं का निराकरण वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक–2112/14–1, दिनांक 07.12.2017 द्वारा कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति तथा संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति व ऑनलाइन प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण में आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में स्वीकृति पर विचार किया जा सके।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11/12

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।